न्यायालय सहायक कलक्टर, इटावा जिला कोटा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - अजय [illegible] आर.ए.एस.

प्रकरण नं.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
22 / 2019	[illegible] / 06 / 2019	07 / 07 / 2023

1. गणेशराम पुत्र रघुनाथ जाति धाकड़ निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. उर्मिला पुत्री रघुनाथ जाति धाकड़ निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
3. बदाम पुत्री रघुनाथ जाति धाकड़ निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
4. माँगी पुत्री रघुनाथ जाति धाकड़ निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. वन विभाग जरिए क्षेत्रीय वन अधिकारी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट

निर्णय

वादीगण द्वारा इस आशय का वाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 02.08.1962 को राज्य शासन द्वारा ग्राम खेड़ा तहसील पीपल्दा की कृषि भूमि खसरा संख्या 442/149 रकबा 6 बीघा 14 बारानी भूमि वादीगण के स्व. पिता श्री रघुनाथ पुत्र कजोड़ को आवंटित की गई थी। आवंटित की गई भूमि पर रघुनाथ को दखल दिया जाकर प्रमाण पत्र (किश्त) पुस्तक संख्या 36 क्रमांक 91 दिनांक 02.08.1962 जारी कर दिया गया। कालान्तर में श्रीमान् जिलाधीश (उपनिवेशन) महोदय द्वारा रघुनाथ को सनद संख्या 20 दिनांक 22.11.1986 जारी कर एतद्द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये। इस प्रकार रघुनाथ उपरवर्णित भूमि का प्रतिष्ठ खातेदार हो चुका था। उक्त भूमि आगे वाद पत्र में विवादित भूमि से सम्बोधित की गई है। भू-प्रबन्धन संक्रिया सम्वत् 2061 से 2066 के फलस्वरूप उक्त भूमि के नवीन खसरा संख्या 333 रकबा 2.5180 है० पैमूद किये गये।

भू – प्रबन्धन संक्रिया सम्वत् 2041 से 2060 के उपरान्त गत खसरा संख्या 442/149 रकबा 6 बीघा 14 बारानी भूमि जो है. में 1.08है0 होती है, के स्थान पर का नवीन खसरा संख्या 333 रकबा 2.51 है0 पैमूद कर प्रतिवादी संख्या 1 के खाते दर्ज कर दिया। जबकि रघुनाथ एवम् उनके मरणोपरान्त वादीगण, आवंटनशुदा रकबे के मुताबिक ही मौके पर खसरा संख्या 333 की रकबा 1.08है0 भूमि पर वर्तमान तक शांतिपूर्वक काबिज–काश्त है। कालान्तर में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि मनमाने, अवैध एवम् अधिकारातीत तरीके से वादी को सुनवाई का अवसर प्रदान किऐं बिना, जरिये नामान्तरकरण संख्या 130 दिनांक 30.12.2006 प्रतिवादी संख्या 2 को आवंटित कर दी गई। जबकि वादीगण मौके पर विवादित खसरा संख्या 333 की रकबा 1.08है0 भूमि पर वर्तमान में भी शांति – पूर्वक काबिज–काश्त है। रघुनाथ की मुत्यु हो चुकी है एवम् वादीगण उनके विधिक प्रतिनिधी है। भू– प्रबन्धन विभाग को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उक्तानुसार वादीगण के पिता की खातेदारी की गत खसरा संख्या 442/149 रकबा 6 बीघा 14 भूमि (जो है. में 1.08है0 होती है।) को प्रतिवादी संख्या 1 के खाते दर्ज करे। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 को भी कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उक्तानुसार रघुनाथ की खातेदारी की गत खसरा संख्या 442/149 रकबा 6 बीघा 14 भूमि (जो है. में 1.08है0 होती है) को प्रतिवादी संख्या 2 को आवंटित कर खाते दर्ज करे। इस प्रकार विवादित भूमि बाबत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया गया आवंटन प्रारम्भतः अकृत एवम् शून्य प्रभावी है। जबकि वादीगण को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह इस सक्षम सम्मानीय न्यायालय की सहायता से ग्राम खेडा तहसील पीपल्दा की कृषि भूमि खसरा संख्या 333 की रकबा 1.08 है0 भूमि स्वयं की खातेदारी में दर्ज करवाऐं। तदर्थ श्रीमान की सेवा में वाद पत्र प्रस्तुत है। प्रतिवादी क्रम 2 विवादित भूमि में स्वयं के अंकन का अनुचित लाभ उठाकर विवादित भूमि पर से वादीगण को वंचित कर जबरन बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा इस वर्ष माह मई में वादीगण को विवादित भूमि पर स्वयं की खातेदारी का लाभ उठाकर उसे बेदखल करने की धमकी दी गई। इस परिस्थिति में वादीगण के पास इस सम्मानीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभावी अनुतोष उपलब्ध नहीं है। अन्त में निवेदन किया कि वादीगण को ग्राम खेडा तहसील पीपल्दा की कृषि भूमि खसरा संख्या 333 की रकबा 1.08 है. का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 1 को प्रदान किया जावें। प्रतिवादी क्रम 2 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि वह स्वयं अथवा जरिऐ प्रतिनिधि विवादित भूमि में वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे।

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई । प्रतिवादी क्रम–2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में दावे में वर्णित कथनों को अस्वीकार करते हुये विशेष विवरण में कथन किया गया कि वादीगण द्वारा सूचना नोटिस अर्न्तगत धारा 80 सी.पी.सी. के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से वाद–पत्र इम्मेंचोर (अपरिपक्व) होने से पोषणीय नहीं है। प्रस्तुत वाद में उल्लेखित खसरा संख्या 442/149 का मूल खसरा न0 149 है एवं इसका कुल क्षेत्रफल 50 बीघा 16 बिस्वा निहित है जो राजस्थान राजपत्र प्रथम अनुसूची (वन भूमि बंजर भूमि) द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष) में दर्ज है एवं वाद पत्र वर्णित खसरा संख्या 442/149 का नवीन खसरा संख्या 333 बताया गया है। वह राजस्व रिकार्ड के मुताबिक गलत है। उक्त खसरा संख्या 442/149 के नवीन ख0स0 292, 293 है। इस प्रकार वादी दावा द्वारा प्रस्तुत वाद में उल्लेखित नवीन हाल खसरा संख्या 333 दर्शाया गया है। वह गत ख0 न0 117, 147, 148 से बना है। एवं खसरा संख्या 333 वर्तमान में गै0मु0 जंगलात दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अतः एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में राजस्व रिकार्ड का गलत अंकन होने से उक्त वाद–पत्र स्वतः खारिज किये जाने योग्य है।

सबिक खसरा न0	हाल खसरा न0
149	292, 293
117, 147, 148	333

एवं उक्त खसरा न0 333 रकबा 2.51है0 गै0 भूमि जगंलात (खाता वन विभाग) वर्तमान में राजस्व विभाग में दर्ज रिकार्ड है। जिसकी (राजस्थान राजपत्र) की फोटो प्रति साथ संलग्न है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र का (स्तत्व) स्पष्ट नहीं होने पर दर्ज वाद–पत्र काबिल खारिजी है। अन्त में वाद खारिज फरमाने का निवेदन किया।

दौराने वाद वादीगण द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खेडा की वादग्रस्त भूमि वर्तमान खसरा संख्याा 333 है। प्रतिवादी वन विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के अनुसार वर्तमान खसरा संख्या 333 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल वादीगण के पूर्वजों को आवंटित भूमि से नहीं बना है जबकि वादीगण आवंटन के समय से उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। इसलिए सेटलमेंन्ट से पूर्व व सेटलमेंन्ट के बाद के नक्शे के अनुसार वर्तमान खसरा संख्या 333 की मौके व रिकार्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त किया जाना आवश्यक है, जिस पर संयुक्त राजस्व टीम गठित कर टीम से ग्राम खेडा की

...फ कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

वर्तमान खसरा संख्या 333 की मौके व रिकार्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई।

संयुक्त राजस्व टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम खेडा के वर्तमान ख.न. 333 रकबा 2.51है. किस्म गै.मु. जगलात वन विभाग के खाते दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा संख्या 333 रकबा 2.51है. के साबिक खसरा संख्या 117 मि0 147 मि0 व 148 मि0 से बना है। परन्तु श्रीमान के आदेशानुसार पुराने नक्शे (सेटलमेंन्ट पूर्व के नक्शे) को वर्तमान नक्शे (हाल सेटलमेंन्ट) पर ओवरलैप करके देखने पर स्पष्ट होता है कि खसरा संख्या 333 में पुराने ख0स0 149 का रकबा भी सम्मिलित है। उक्त भूमि वादी के पिता को दिनांक 02/08/1962 को आवटंन हुई। मुताबिक रिकार्ड वादी को ख0स0 149 में से 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी। जिसका ख0स0 442/149 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी चाहरुम दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में वादी उसी भूमि पर काबिज है। जहां उसे आंवटन के समय दखल किया गया था। उक्त भूमि वर्तमान में रकबा ख0स0 333 में ही है। उक्त भूमि वर्तमान में ख0स0 333 में ही है। साथ ही उक्त भूमि आस–पास के खसरा नम्बरान का पुराने व नवीन नक्शों से मिलान किया गया विवरण निम्न प्रकार है।

वर्तमान ख0 न0	नक्शे के अनुसार ख0न0	मिलान क्षेत्रफल के अनुसार ख0न0
332	116,117,420/117	116
334	117, 147,148	146,147,148
335	116,117	147, 148, 149
336	117, 118	117, 118
295	149मि0	147मि0
29	149मि0	421/147 मि0

उपरोक्तानुसार नम्बरों का बनना स्पष्ट पाया गया।

पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं जवाब सरकार का

ायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रे
इटावा जिला कोटा

अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के पिता को ख0रा0 149 में से 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी, जिसका ख0रा0 442/149 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी चाहरुम दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में वादीगण उसी भूमि पर काबिज है। सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा गलत मिलान क्षेत्रफल बनाते हुये उक्त आराजी खसरा संख्या 333 सिवाय चक दर्ज कर दी गई जो बाद में वन विभाग के खाते खसरा संख्या 333 दर्ज कर दी गई। तहसील रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादीगण आवंटित की गई भूमि 6 बीघा 14 बिस्वा (1.08है0) आराजी पर ही काबिज है। सम्पूर्ण विवेचना से स्पष्ट है कि वादीगण ग्राम खेडा तहसील पीपल्दा की कृषि भूमि खसरा संख्या 333 की रकबा 1.08है0 कृषि आराजी के खातेदार घोषित किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण को ग्राम खेडा तहसील पीपल्दा की खसरा संख्या 333 की रकबा 1.08है0 कृषि आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण के कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करते हुये रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अंजना सहरावत
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
इटावा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

"1"

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) इटावा जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी – अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
22/2019	03/06/2019	07/07/2023

1. गणेशराम पुत्र रघुनाथ जाति धाकड निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. उर्मिला पुत्री रघुनाथ जाति धाकड निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
3. बदाम पुत्री रघुनाथ जाति धाकड निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
4. माँगी पुत्री रघुनाथ जाति धाकड निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

वादीगण

बनाम

2\. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

2\. वन विभाग जरिए क्षेत्रीय वन अधिकारी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादीगण

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री कमल कुमार बंसल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण को ग्राम खेडा तहसील पीपल्दा की खसरा संख्या 333 की रकबा 1.08है0 कृषि आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण के कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करते हुये रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

डिकी मेंरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 07/7/2023 ..... को जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

मिलान स्टाम्प	अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूपयै	रूपयै
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	मेंहनताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

अंजना सहरावत
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
इटावा